**भारत सरकार**

**ग्रामीण विकास मंत्रालय**

**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2925**

**(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**पीएमएवाई-जी के अन्तर्गत नए चरण का कार्यान्वयन**

**2925. श्री दुष्यंत सिंह:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विशेष रूप से राजस्थान के विभिन्न जिलों में स्वीकृत और पूरे किए गए आवासों सहित प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के नए चरण के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2028-29 तक दो करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लक्ष्य की दिशा में निधि के उपयोग और प्रगति की समीक्षा की गई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीएमएवाई-जी और विकसित भारत-जी राम-जी अधिनियम, 2025 के बीच तालमेल की संभावना तलाशी जा रही है ताकि ग्रामीण आवास निर्माण को रोजगार सृजन के साथ समेकित किया जा सके और पीएमएवाई-जी के अंतर्गत श्रम मांग को नए अधिनियम के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ जोड़ा जा सके; और

(घ) क्या पीएमएवाईजी के अंतर्गत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित प्रशिक्षित कुशल राजमिस्त्रियों के पूल को ध्यान में रखते हुए गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विकसित भारत-जी राम-जी अधिनियम के ढांचे के भीतर ऐसी प्रशिक्षित जनशक्ति को तैनात करने और एकीकृत करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**

**(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)**

(क): ग्रामीण विकास मंत्रालय "सभी के लिए आवास" का लक्ष्य  प्राप्त करने के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के लिए सहायता प्रदान करके मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ आवासों (पिछले चरण के 2.95 करोड़ आवास के लक्ष्य सहित) के निर्माण के लिए 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 4.14 करोड़ आवासों का लक्ष्य आवंटित किया है, जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 3.89 करोड़ से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं और दिनांक 05.03.2026 तक 2.97 करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है।

राजस्थान राज्य को कुल 24,97,121 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिनमें से राज्य द्वारा 24,32,908 आवास स्वीकृत किए गए हैं और 18,75,364 आवासों का निर्माण दिनांक 05.03.2026 तक पूरा हो चुका है। वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान राजस्थान में स्वीकृत और पूर्ण किए गए आवासों की जिलावार सूची **अनुबंध** में दी गई है।

(ख): इस योजना के तहत व्यय की प्रगति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ व्यय समीक्षा बैठकें करता है। लगातार निगरानी की जाती है और व्यय की गति बढ़ाने और समय पर निधि जारी करने तथा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाती है। इन प्रयासों का उद्देश्य योजना का त्वरित कार्यान्वयन है ताकि इच्छित लाभ यथाशीघ्र पात्र लाभार्थियों तक पहुंच सकें।

(ग) और (घ): जी हाँ। विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम की अनुसूची-I में पीएमएवाई-जी के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता दी गई है: पैरा 4(2), (ख) श्रेणी II - प्रमुख ग्रामीण अवसंरचना-(viii) ग्रामीण आवास कार्य केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत अनुमेय हैं, जिनमें पीएमएवाई-जी के तहत अनुमेय कार्य भी शामिल हैं। इसके अलावा, अधिनियम की अनुसूची- I के पैरा 6 (i) में, पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों को पात्र व्यक्तिगत लाभार्थी की सूची में शामिल किया गया है।

**अनुबंध**

**पीएमएवाई-जी के तहत नए चरण के कार्यान्वयन के संबंध में लोकसभा में दिनांक 10.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2925 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध**

वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान राजस्थान राज्य में स्वीकृत कुल आवासों और पूर्ण आवासों का ब्यौरा

| क्र. सं. | जिला | 2025-26 | | 2024-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | स्वीकृत | पूर्ण किए गए | स्वीकृत | पूर्ण किए गए |
| 1 | अजमेर | 1,049 | 38 | 2,327 | 896 |
| 2 | अलवर | 97 | 10 | 2,677 | 1,083 |
| 3 | अनूपगढ़ | 995 | 21 | 8,772 | 3,164 |
| 4 | बालोतरा | 8,214 | 650 | 9,184 | 4,049 |
| 5 | बांसवाड़ा | 4,390 | 555 | 38,794 | 18,688 |
| 6 | बारां | 8,521 | 158 | 18,196 | 3,123 |
| 7 | बाड़मेर | 25,253 | 1,045 | 17,853 | 5,496 |
| 8 | ब्यावर | 3,471 | 156 | 4,584 | 1,781 |
| 9 | भरतपुर | 0 | 0 | 132 | 66 |
| 10 | भीलवाड़ा | 10,528 | 868 | 15,131 | 5,408 |
| 11 | बीकानेर | 15,292 | 517 | 20,002 | 4,261 |
| 12 | बूंदी | 6,296 | 134 | 13,250 | 2,480 |
| 13 | चित्तौड़गढ़ | 4,466 | 105 | 13,823 | 4,426 |
| 14 | चुरू | 5,399 | 267 | 10,743 | 2,601 |
| 15 | दौसा | 100 | 1 | 2,855 | 741 |
| 16 | दीग | 9 | 0 | 266 | 90 |
| 17 | धोलपुर | 1,164 | 3 | 3,122 | 920 |
| 18 | डीडवाना कूचामन | 1,538 | 64 | 7,077 | 2,050 |
| 19 | दुदू | 913 | 47 | 1,451 | 398 |
| 20 | डुरंगपुर | 3,112 | 353 | 31,179 | 11,661 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | गंगापुर सिटी | 4,049 | 109 | 6,478 | 1,252 |
| 22 | हनुमानगढ़ | 2,381 | 121 | 11,513 | 4,156 |
| 23 | जयपुर | 612 | 4 | 3,951 | 967 |
| 24 | जैसलमेर | 14,405 | 989 | 9,204 | 2,597 |
| 25 | जालोर | 725 | 100 | 7,410 | 2,766 |
| 26 | झलावाड़ | 26,200 | 1,862 | 23,809 | 11,202 |
| 27 | झुंझुनू | 3 | 0 | 1,121 | 398 |
| 28 | जोधपुर | 6,579 | 848 | 13,847 | 5,503 |
| 29 | करौली | 3,549 | 216 | 11,178 | 1,745 |
| 30 | केकरी | 695 | 33 | 3,401 | 1,081 |
| 31 | खैरथल तिजारा | 490 | 22 | 1,230 | 502 |
| 32 | कोटा | 3,464 | 130 | 14,263 | 3,535 |
| 33 | कोठपुतली बहरोर | 13 | 1 | 946 | 336 |
| 34 | नागौर | 2,887 | 99 | 11,400 | 2,833 |
| 35 | नीम का थाना | 3 | 0 | 483 | 219 |
| 36 | पाली | 2,057 | 206 | 8,026 | 3,498 |
| 37 | फलोड़ी | 7,468 | 1,172 | 7,633 | 2,736 |
| 38 | प्रतापगढ़ | 3,408 | 214 | 22,356 | 5,442 |
| 39 | राजसमंद | 5,165 | 105 | 8,225 | 2,715 |
| 40 | सलूमबर | 3,187 | 228 | 14,246 | 4,643 |
| 41 | सांचोर | 1,038 | 270 | 4,377 | 1,868 |
| 42 | सवाई माधोपुर | 5,520 | 189 | 11,106 | 2,776 |
| 43 | शाहपुरा | 3,058 | 189 | 5,996 | 1,880 |
| 44 | सीकर | 60 | 1 | 2,562 | 887 |
| 45 | सिरोही | 710 | 43 | 11,813 | 3,457 |
| 46 | श्रीगंगानगर | 2,493 | 78 | 10,679 | 3,960 |
| 47 | टोंक | 9,121 | 654 | 14,272 | 5,191 |
| 48 | उदयपुर | 8,064 | 495 | 36,663 | 11,387 |
| | **कुल** | **2,18,211** | **13,370** | **4,99,606** | **1,62,914** |

#आवास सॉफ्ट रिपोर्टों के अनुसार